समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

मिट्टी से दिखा सकते है हुंनर तो इस योजना मे मिलेगा 10 लाख तक का लोन, जानिए काम की बात।

Publisher

Published on 12 May 2025

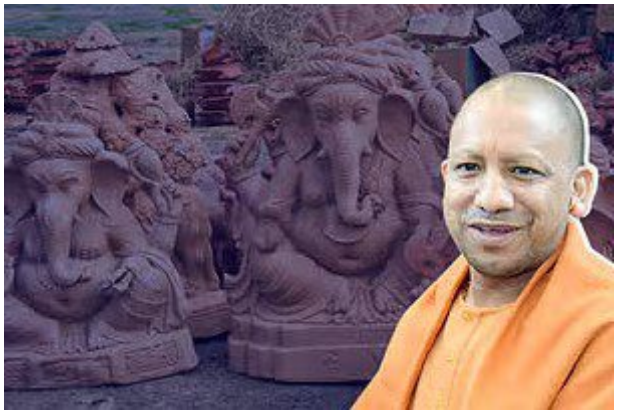

उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की इस योजना मे शंहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार शिक्षित युवाओ के लिए माटी कला कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मुहैया कराता है.

उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक योजना चलाती है जिसमें अगर आपमें मिट्टी से हुनर दिखाने का दम है तो आप लाखों रुपये कमा सकते हैं. इसके लिए सरकार की ओर से आपको लोन के तौर पर मोटी रकम भी मुहैया कराई जाती है. जिसे लेकर आप अपने शहर और गांव में माटी कला उद्योग लगा सकते हैं. जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार की माटी कला योजना इन दिनों लोगों को खूब भा रही है और अपनी ओर आकर्षित कर रही है.

10 लाख का मिलता है लोन

उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की इस योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार शिक्षित युवाओ के लिए माटी कला कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मुहैया कराता है. इस योजना के तहत कुल धनराशि पर 25 प्रतिशत का अनुदान सरकार की ओर से दिया जा रहा है. इस योजना के लिए आवेदक की उम्र 18 से 55 साल तक होनी चाहिए. इसके साथ ही बेरोजगार कारीगर upmatikalaboard.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थानीय निवासी होना जरूरी है. इसके अलावा कैटेगरी वाइस भी योजना में फायदा दिया जाता है.

डबल फायदा देगी सरकार

इस योजना से कई फायदे मिलते हैं, लेकिन दो सबसे अहम फायदे ये हैं कि इससे जरूरतमंद लोगों को अपने काम को आगे बढ़ाने

के लिए जरूरी आर्थिक सहायता मिलती है. दूसरा ये कि पारंपरिक मिट्टी और शिल्पकला जैसे पुराने हस्तशिल्प उद्योगों को नया जीवन मिलता है, जिससे ये फिर से उभर सकें. साथ ही, बेरोजगारों को काम के नए मौके मिलते हैं. उत्तर प्रदेश के योग्य उम्मीदवार इस योजना का सीधा लाभ उठा सकते हैं. इस योजना में मिट्टी के प्रेशर कुकर ,घड़ा, सुराही, जग, कुल्हड़, ग्लास, अचारदानी, कटोरी, कप, प्लेट आदि के उद्योग स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जाता है. उत्तर प्रदेश सरकार हस्तशिल्प कला को फिर से जीवित करने और आगे बढ़ाने के लिए इस योजना को लेकर आई है.

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.